मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 15/09/2022

क्र. एफ 16-53/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीना रिफाइनरी) द्वारा लगभग रू. 37,000-40,000 करोड़ के निवेश से बीना स्थित रिफाइनरी का विस्तार तथा पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2205080002) पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया -

1. **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति** - नवीन पूंजी निवेश से स्थापित की जा रही परियोजना के संबंध में निम्न 4 मदों की योग राशि:-

(अ) परियोजना अंतर्गत निर्मित उत्पादों के मध्यप्रदेश के अंदर विक्रय पर आइजीएसटी/एसजीएसटी की क्रेडिट के समायोजन के उपरांत नगद चुकायी गयी एसजीएसटी की राशि, तथा

(ब) मध्यप्रदेश के जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयत व्यवसाईयों से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर चुकायी गयी एसजीएसटी की वह राशि, जिसकी क्रेडिट का समायोजन इकाई की एसजीएसटी की आउटपुट लायबिल्टी के विरूद्ध किया गया हो, तथा

(स) जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयत मध्यप्रदेश के व्यवसायियों से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर इकाई द्वारा चुकाई गई एसजीएसटी की वह राशि, जिसकी क्रेडिट इकाई को मध्यप्रदेश राज्य के जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं होनी है, तथा

(द) राज्य के बाहर से क्रय किये गये इनपुट्स/इनपुट सर्विसेज/कैपिटल गुड्स पर चुकाये गये आईजीएसटी के विरूद्ध प्राप्त होने वाली आइजीएसटी की क्रेडिट में से जितनी क्रेडिट का समायोजन इकाई की एसजीएसटी की आउटपुट लायबिल्टी के विरूद्ध किया गया हो, उतनी राशि,

का अधिकतम 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, वाणिज्यिक कर विभाग के संबंधित कार्यालय द्वारा पुष्टि किये जाने उपरांत, निम्नानुसार अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी-

वर्ष	वर्षवार देय अधिकतम एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता (रू. करोड में)	वर्ष	वर्षवार देय अधिकतम एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता(रूपये करोड में)
1	750	9	1,036
2	786	10	1,071
3	821	11	1,107
4	857	12	1,143
5	893	13	1,179
6	929	14	1,214
7	964	15	1,250
8	1,000		
कुल अधिकतम देय सहायता - रूपये 15,000 करोड			

उपरोक्त तालिका में उत्पादन प्रांरभ करने के वर्ष को पहला वित्तीय वर्ष माना जायेगा।

निरंतर .....

2. **ब्याज मुक्त ऋण** - एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को रूपये 500 करोड प्रतिवर्ष का ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 15 वर्षो की अवधि तक प्रदान किया जाये। इकाई द्वारा ऋण राशि का वर्षवार पुनर्भुगतान हेतु प्रथम वर्ष में वितरित किये गये ऋण की दिनांक को आधार मानते हुये, प्रथम वर्ष में वितरित ऋण का पुनर्भुगतान 16वें वर्ष में, द्वितीय वर्ष में वितरित ऋण का पुनर्भुगतान 17वें वर्ष में, इस प्रकार 15वें वर्ष में वितरित ऋण का पुर्नभुगतान 30वें वर्ष में किया जाये।

3. **ब्याज अनुदान सहायता** - कंपनी द्वारा किसी बैंक/वित्तीय संस्था से अधिकतम रूपये 500 करोड प्रतिवर्ष का ऋण प्राप्त किये जाने की स्थिति में उक्त ऋण के विरूद्ध अधिकतम 8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर के आधार पर संगणित देय ब्याज राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति कुल 15 वर्षो की अवधि तक राज्य शासन द्वारा एमपीआईडीसी के माध्यम से इकाई को की जायेगी। इससे आशय यह है कि इकाई द्वारा प्रथम वर्ष में लिये गये ऋण पर अधिकतम 15 वर्षो हेतु, द्वितीय वर्ष में लिये गये ऋण पर अधिकतम 14 वर्षो हेतु, इस प्रकार 14वें वर्ष में लिये गये ऋण पर अधिकतम 2 वर्षो हेतु एवं 15वें वर्ष में लिये गये ऋण पर अधिकतम 1 वर्ष हेतु उक्त सहायता प्रदान की जायेगी। स्पष्ट किया जाता है कि यदि इकाई द्वारा किसी वर्ष में लिया गया ऋण का पुर्नभुगतान सहायता अवधि 15 वर्ष के पहले कर दिया जाता है तो उक्त स्थिति में उक्त वर्ष विशेष के ऋण के विरूद्ध शेष अवधि हेतु ब्याज अनुदान की सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

4. **विद्युत संबंधी सुविधाएं** -

   i. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षो हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

   ii. **विद्युत शुल्क से छूट** - विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त विद्युत पर देय विद्युत शुल्क से 15 वर्ष हेतु छूट प्रदान की जाये।

   iii. **पारेषण शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से क्रय की गई विद्युत पर पारेषण शुल्क से 15 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

5. **स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूति** - बैंक/वित्तीय संस्थाओं से किये जाने वाले ऋण अनुबंध, क्रेडिट डीड, मॉर्टगेज एवं हय्पोथेकेशन संबंधी अभिलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से शत-प्रतिशत की छूट अधिकतम राशि रूपये 15.00 लाख की प्रतिवर्ष सीमा तक प्रदान की जाये।

6. **अधोसंरचना विकास सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधान अनुसार सहायता दी जाये।

7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2022) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 5 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश उत्पादन प्रारंभ करने में विलंब होता है तो उस स्थिति में निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति द्वारा विचारोपरांत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु 2 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकेगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ. क्र. एफ 16-53/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 15 /09/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/राजस्व विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, सागर संभाग सागर।
4. कलेक्टर, जिला - सागर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, प्रबंधक (समन्वय), मेसर्स भारत ओमान रिफायनरीज लि./मेसर्स भारत पोट्रोलियम कॉर्पोरेशनलि. प्रशासनिक भवन, रिफायनरी परिसर, पोस्ट-बी.ओ.आर.एल. आवासीय परिसर, बीना, जिला - सागर।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग